बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांकः- 389736

ग्रा0वि0-5/प्र0आ0यो0 (लक्ष्य)-115-01/2017

पटना, दिनांकः- 20/09/18

प्रेषक,

कँवल तनुज,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,
मधुबनी ।

विषय :- **प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 निर्धारित लक्ष्य के संबंध में ।**

प्रसंग :- **जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मधुबनी का पत्रांक-1530 दिनांक-31.07.2018**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा मांगे गये मार्गदर्शन के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विभागीय पत्र संख्या-378693 दिनांक-11.07.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लिए संसूचित परिवर्तित कोटिवार लक्ष्य का निर्धारण जिला अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतिक्षा सूची में कोटिवार उपलब्ध परिवारों को ध्यान में रखकर किया गया है ।

उक्त विभागीय पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिला के लिए कर्णांकित लक्ष्य के अंतर्गत प्रखंडों एवं ग्राम पंचायतों में उपलब्ध परिवारों की संख्या के आधार पर लक्ष्य का पारस्परिक सामंजन किया जा सकता है तथा SC एवं ST के लक्ष्य उक्त कोटि के उपलब्ध परिवारों के संख्या के आधार पर पारस्परिक रूप से Interchange किया जा सकता है । यह व्यवस्था ग्राम पंचायतों के लक्ष्य को संतुलन करने के उद्देश्य से ही की गई है ।

उपर्युक्त स्थिति में विभाग द्वारा संसूचित परिवर्तित वर्षवार एवं कोटिवार लक्ष्य के अंतर्गत प्रखंडों एवं ग्राम पंचायतों में लक्ष्य उपवांटन को संतुलित करते हुए योजना का कार्यान्वयन किया जाना अपेक्षित है । यदि जिला अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए संसूचित कोटिवार लक्ष्य से अधिक किसी कोटि में लाभुकों को आवास स्वीकृति प्रदान की गई है तो उसे तत्काल रद्द कर दिये जाने तथा उन लाभुकों को वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए संसूचित कोटिवार लक्ष्य के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान करने संबंधी कारवाई किया जाना अपेक्षित है । चूँकि आवास सॉफ्ट पर लक्ष्य एवं स्वीकृति आदि की कारवाई का प्रावधान वित्तीय वर्षवार है, अतएव उक्त दोनों वित्तीय वर्ष के लक्ष्य को एक साथ जोड़कर कार्यान्वयन नहीं कराया जा सकता है ।

अनुरोध है कि इसे संबंध में वांछित कारवाई सुनिश्चित करते हुए विभागीय पत्र संख्या-378693 दिनांक-11.07.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लिए संसूचित परिवर्तित कोटिवार लक्ष्य के अनुरूप योजना का कार्यान्वयन कराया जाए ।

विश्वासभाजन

(कँवल तनुज)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 389736 पटना, दिनांक:- 20/09/18

प्रतिलिपि:- सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव

D:\D Drive\Mukesh\IAY 2218 B.doc